अमानत (अमीन) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना और उत्कृष्ट उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के बीच

एकरारनामा

भूमिका :

बोर्ड के द्वारा बाजार की माँग पर आधारित, ऐसे कौशल विकास क्षेत्रों की पहचान की जाती है, जिनमें प्रशिक्षित कार्यबल की निकट भविष्य में माँग तेजी से बढ़ रही है। तत्पश्चात इन कौशल विकास क्षेत्रों से संबंधित पाठयक्रम को विकसित कर, बोर्ड प्रशिक्षणार्थियों को, प्रशिक्षित कर, उस क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार की माँग को पूरा करने का प्रयास करता है और राज्य में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में सहयोग करता है।

पिछले कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि **बिहार में अमीन / अमानत से संबंधित कार्य करने वाले प्रशिक्षित कर्मियों की कमी निरंतर बढ़ती जा रही है।** बिहार सरकार द्वारा भी प्रतिवर्ष भारी संख्या में प्रशिक्षित अमीनों की बहाली की जा रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित अमीनों की भारी कमी है और वर्ष – 2030 तक यह कमी अत्यधिक बढ़ जाएगी। पूरे राज्य में अमीन के प्रशिक्षण हेतु उच्च कोटि का गुणवत्तापूर्ण, मानक स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बिहार में कोई ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है जो कि इस कार्यक्रम का प्रशिक्षण विशेष रूप से दे रही हो और उसके पश्चात प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा लेकर उन्हें एक सरकारी प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र निर्गत कर रही हो जिसकी सर्वत्र मान्यता हो।

आवश्यकता :

बोर्ड के द्वारा अमानत प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु संबंधित गुणवत्तापूर्ण मानक स्तर का पाठयक्रम विकसित किया गया है। इसके लिए राज्य के प्रतिष्ठित उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों का सहयोग लिया गया था जिन्हें राज्य के विश्वविद्यालयों के भूगोल विषय के स्नातकोत्तर विभाग (पी0जी0 डिपार्टमेंट), ख्यातिप्राप्त सरकारी आई0टी0आई0 एवं पोलिटेकनिक, एन0आई0आई0टी0, आई0आई0टी0 एवं अन्य विख्यात शिक्षण संस्थानों से लिया गया था। बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा विकसित अमानत प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित प्रायोगिकी पाठयक्रम में कुछ ऐसे अंश हैं जिनमें प्रशिक्षण के लिए महंगे एवं आधुनिक उपकरणों एवं औजारों की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त प्रायोगिकी पाठ्यक्रम के इन अंशों में प्रशिक्षण देने के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की आवश्यकता भी है। पाठयक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में बोर्ड के द्वारा देखा गया कि उपरोक्त उच्च कोटि के उच्चतर/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के पास अमीन पाठयक्रम की कठिन प्रायोगिकी कक्षाओं के लिए आवश्यक महँगे एवं आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं और इनके पास उच्च कोटि के प्रशिक्षक भी उपलब्ध हैं, जो कि बोर्ड के द्वारा अमानत (अमीन)

प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में साधारणतः उपलब्ध नहीं हैं। **अतः यह आवश्यक है कि बोर्ड के द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को, उच्च गुणवत्ता के साथ प्रभावकारी ढंग से चलाने के लिए उपरोक्त कोटि के ख्यातिप्राप्त उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थानों का सहयोग लिया जाये, जिसके लिए यह एकरारनामा बनाया गया है।**

खण्ड–क

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना ..... प्रथम पक्ष।

बनाम

संबंधित ख्यातिप्राप्त उच्च शिक्षण/तकनीकी संस्थान (नाम बी० पी० एस० कॉलेज, पटना (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना).....) ..... द्वितीय पक्ष।

1. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना (प्रथम पक्ष) का उत्तरदायित्वः–

(i) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के सूचीबद्ध प्रशिक्षकों/शिक्षकों को प्रायोगिकी/सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। मानदेय/राशि की सूची संलग्न है।

(ii) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के महंगे एवं आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग करने हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी के दर पर निर्धारित शुल्क द्वितीय पक्ष को दिया जाएगा।

(iii) बोर्ड के द्वारा अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों की सूची पूरी सूचना के साथ (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) द्वितीय पक्ष को प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरंभ होने से 10 दिन पहले उपलब्ध करायी जाएगी ताकि द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रशिक्षण देने की रूपरेखा एवं समय सारणी बनायी जा सके। प्रशिक्षकों/शिक्षकों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाया जा सके।

(iv) बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष को अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूर्ण पाठय सामग्री भी ससमय उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) बोर्ड के द्वारा अनुश्रवण एवं द्वितीय पक्ष की अनुशंसा पर बोर्ड के द्वारा द्वितीय पक्ष के प्रशिक्षकों/शिक्षकों को मानदेय उनके बैंक खाता में सीधे अंतरित (ट्रांसफर) किया जाएगा।

(vi) द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये सुझावों पर बोर्ड के द्वारा विचार विमर्श करने के पश्चात प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा और यथासंभव उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम का भाग बनाया जाएगा एवं महिला महाविद्यालयों में सिर्फ महिला छात्राओं को हीं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(vii) प्रथम पक्ष के द्वारा 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं में दिये गये प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने में द्वितीय पक्ष का आवश्यकतानुसार सहयोग लिया जाएगा। इस मूल्यांकन के क्रम में द्वितीय पक्ष के विशेषज्ञों का सहयोग देने के लिए बोर्ड के द्वारा विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा ताकि 100 घंटे के प्रशिक्षण का सही मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

(viii) बोर्ड के द्वारा अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण पत्र में द्वितीय पक्ष के सहयोग का भी सही स्थान पर उल्लेख किया जाएगा।

2. **द्वितीय पक्ष** (संबंधित ख्यातिप्राप्त उच्च शिक्षण/तकनीकी संस्थान)
(नाम ..... टी० पी० एस० कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना .....)

के उत्तरदायित्वः–

(i) बोर्ड के साथ हुए करार के आधार पर द्वितीय पक्ष के संस्थान में उपलब्ध आधुनिक एवं महंगे उपकरणों को बोर्ड के साथ मिलकर चिन्हित कर प्रशिक्षण हेतु सूचिकरण करना। इन उपकरणों का उपयोग 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं में प्रशिक्षण देने के लिए द्वितीय पक्ष के द्वारा किया जाएगा। **इसके लिए द्वितीय पक्ष को बोर्ड द्वारा प्रति प्रशिक्षु निर्धारित शुल्क दिया जाएगा।**

(ii) बोर्ड के साथ हुए करार के आधार पर द्वितीय पक्ष के संस्थान में उपलब्ध उच्च कोटि के प्रशिक्षकों/शिक्षकों की सूची बनायी जाएगी जिनका उपयोग बोर्ड के अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं एवं आवश्यकतानुसार **सैद्धांतिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देंगे।**

(iii) बोर्ड के अमीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 100 घंटे की प्रायोगिकी कक्षाओं के प्रशिक्षण में आश्यकतानुसार सैद्धांतिक भागों के शिक्षण के लिए भी द्वितीय पक्ष के द्वारा योग्य शिक्षकों की सूची बनायी जाएगी जो कि प्रायोगिकी के साथ–साथ आवश्यक सैद्धांतिक भाग को भी पढा सके।

(iv) द्वितीय पक्ष के द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति अंकित करने के लिए आवश्यक उपकरण लगाए जाएंगे ताकि प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जा सके।

(v) द्वितीय पक्ष के द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित प्रशिक्षणार्थियों के लिए समय तालिका एवं अन्य मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे ताकि 100 घंटें का प्रायोगिकी प्रशिक्षण एवं उसके कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निश्चित समय सीमा के अन्दर समाप्त किया जा सके।

(vi) द्वितीय पक्ष को बोर्ड द्वारा आवंटित प्रशिक्षणार्थियों के 100 घंटे की प्रायोगिकी के प्रशिक्षण के पश्चात उसके मूल्यांकन में भी बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

(vii) द्वितीय पक्ष के द्वारा आवश्यकतानुसार सैद्धांतिक परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में सहयोग लिया जाएगा और **इसके लिए एक निश्चित मानदेय प्रति छात्र द्वितीय पक्ष को भुगतान किया जाएगा।**

(viii) द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रायोगिकी प्रशिक्षण देने के क्रम में प्राप्त अनुभव के आधार पर बोर्ड को समय समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव भी देने होंगे जिससे की प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी रूप से और अधिक सुदृढ किया जा सके और पाठयक्रम का स्तर भी सुधारा जा सके। द्वितीय पक्ष के शिक्षाविदों एवं अन्य **विशेषज्ञों को बोर्ड के इस पाठ्यक्रम के विकास एवं सुधार के लिए सहयोग देना होगा जिसके लिए बोर्ड के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाएगा और उचित मानदेय दिया जाएगा।**

3. **विलंब**
द्वितीय पक्ष एक सौ घंटे की गुणवत्तापूर्ण प्रायोगिकी प्रशिक्षण बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार ससमय संचालित करेंगे।

4. **दायित्वों की रिर्पोटिंग**
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार द्वितीय पक्ष प्रतिवेदन एवं दस्तावेजों को देना सुनिशिचित करेगा।

5. **विवादों का निपटारा**
MOU या उसकी व्याख्या के संबंध में होनेवाले विवादों का निपटारा दोनों पक्षों के द्वारा सौहार्दयपूर्ण तरीके से किया जायेगा।

6. **प्रशिक्षण कार्यक्रम–वित्तीय प्रबंधन**
प्रशिक्षण हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जाने वाला शुल्क संलग्न तालिका के अनुसार होगा।

7. **बाध्यकारी परिस्थितियाँ**
आग, युद्ध, दंगों, हड़तालों, प्राकृतिक अपदाओं आदि के किसी भी कारण से उत्पन्न परिस्थितियों के समय अनुबंध के नियमों और शर्त्तों को पूरा न करने पर दोनों पक्ष इसके लिए परस्पर जवाबदेह नहीं होंगे।

8. **समझौते का उल्लंघन**
द्वितीय पक्ष यदि बोर्ड द्वारा निदेर्शित गुणवत्ता सेवाओं को प्रदान करने में असफल रहेगा या समझौते के किसी भाग का उलंघन करेगा तो समझौते को समाप्त करने का अधिकर प्रथम पक्ष, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के पास रहेगा।

9. **वैधता की अवधि**

यह समझौता दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर करने की तारीख से तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। इस समझौते के किसी भी पहलू के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी की विवाद को आपसी परामर्श और समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा सुलझाया जायेगा।

10. **समझौता एवं संशोधन**

यह MOU दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर सभी जानकारियों को परिलक्षित करता है और पूर्व में दोनों पक्षों के बीच हुए किसी भी प्रकार के विचारविमर्श, लिखित एवं मौखिक, समझौतों को खारिज करता है। इस MOU में कोई संशोधन तबतक प्रभावी नहीं होगा जबतक दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न हो।

11. **लागू कानून**

यह एकरारनामा भारत के कानूनों के अंतर्गत लागू एवं व्याख्यायित किया जायेगा। गवाह के रूप में संबंधित पक्षो के अधिकृत प्रतिनिधियों में लिखित तारीख को अपना हस्ताक्षर MOU पर किया।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE), पटना।	टी० पी० एस० कॉलेज, पटना (पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना)
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर 18.3.21 Principal T.P.S. College, Patna
नाम– बालेश्वर प्रसाद यादव	नाम– प्रो०(डॉ०) उपेन्द्र प्रसाद सिंह
पदनाम– वरीय कार्यपालक पदा० BBOSE, पटना	पदनाम– प्रधानाचार्य टी० पी० एस० कॉलेज, पटना
गवाह का हस्ताक्षर 1. 2.	गवाह का हस्ताक्षर 1. Dr. UDAY KUMAR 18/03/2021 2. Dr. KRISHNANDAN PRASAD 18.3.2021

Department of Geography
T.P.S. College, Patna

PAPER-IV : PRACTICAL		100 (Hours)	90 (Marks)
6.	**THEODOLITE SURVEY**		
6.1	Practice in setting up a theodolite and taking readings.		
6.2	Practice for Measurement of horizontal angles using theodolite.		
6.3	Practice for Measurement of vertical angles using theodolite.		
6.4	Conduct a close traversing over a given area using theodolite.		
7.	**MEASUREMENT AND MARKING OF JOB LAYOUT**		
7.1	House lay-out & base line measurement and carry out marking job layout on the ground of the building mentioning size of the room.		
8.	**MODERN SURVEY EQUIPMENTS**		
8.1	Demonstration of ETS, EMD, GIS & GPS or DGPS.		
8.2	Conduct Survey work of a given area using atleast any of the following ETS, EMD, GIS & GPS or DGPS.		
9.	**COMPUTER & INTERNET**		
9.1	Prepare a word file and an excel sheet as per supplied document.		
9.2	Search on the internet about aerial and satellite survey and get it printed in a documented format and also prepare report on it using MS Word.		

Fees/Honorarium

To be paid by the Board for the services rendered by the collaborating Institutions under Amanat Training Programme.

1. **Practical training of the trainees under this programme will be conducted at three institutions.**

(a) **Advanced Practical training at Higher Educational/Technical Institution**

100 hours training (01 class of 2 hours)

Instructors	-	Rs. 700 × 50 classes	-	Rs. 35,000
Conveyance	-	Rs. 200 × 50 classes	-	Rs. 10,000
Equipment	-	Rs. 500 Per Student	-	Rs. 25,000
Co-ordinators	-	Rs. 100× 50 students	-	Rs. 5,000
Miscellaneous (For Office Assistant & Peon)	-	Rs. 100× 50 students	-	Rs. 5,000
			=	Rs. 80,000

(b) **Practical training with Circle Officer's office, Govt. of Bihar.**

70 hours (Class of Two hours = 35 Classes total)

	35 classes × Rs. 500	= Rs. 17,500
Co-ordinator		= Rs. 2,500
Miscellaneous		= Rs. 2,500
	Total	= Rs. 22,500

(c) **Basic Practical Training at Study Centre**

70 hours (Class of Two hours = 35 Classes total)

35 classes× Rs.500 = Rs. 17,500

Total cost of Practical Training (a+b+c) = Rs. 1,20,000/-

2. **Payment to Study Centers**

Theory Classes = 160 hours × Rs. 500 = Rs. 80,000

3. **Payment of Study Center Lump sum**

Miscellaneous (Rs. 100 per Student) = Rs. 50,000

Total cost of Training (1+2+3) = Rs. 2,50,000/-